भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4662

उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025

सूक्ष्म उद्यमों के समक्ष ऋण की कमी की समस्या

4662. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिडबी की उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि महत्वपूर्ण औपचारिकीकरण के बावजूद लगभग 35% सूक्ष्म उद्यम अनौपचारिक बने हुए हैं और लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के ऋण की कमी का सामना कर रहे हैं, जबकि महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई में यह कमी और भी अधिक 35% है;

(ख) क्या मंत्रालय ने विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों और महिला उद्यमियों के लिए इस औपचारिक-अनौपचारिक विभाजन के विशिष्ट क्षेत्रीय या क्षेत्रक पैटर्न और ऋण अभिगम में निरंतर कमी का विश्लेषण किया है;

(ग) इन अंतरालों को पाटने और अधिक सूक्ष्म एवं महिला-नेतृत्व वाली इकाइयों को औपचारिक, ऋण-सुलभ अर्थव्यवस्था में लाने के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण, फिनटेक अंतःक्षेप या ऋण गारंटी संवर्धन जैसे किए जा रहे लक्षित उपाय क्या हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय का उद्यम पंजीकरण, सीजीटीएमएसई और डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों जैसी योजनाओं के साथ आवधिक डेटा संग्रह और लिंकेज के माध्यम से प्रगति की निगरानी करने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर गठित विशेषज्ञ समिति ने एमएसएमई क्षेत्र में 20 से 25 लाख करोड़ रुपए के ऋण अंतराल का अनुमान लगाया था।

- सरकार ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की थी। दिनांक 12 अगस्त, 2025 तक 2.75 करोड़ आईएमई को औपचारिक रूप प्रदान कर दिया गया है। ये उद्यम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण और विपणन सहायता के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। यूएपी पर पंजीकृत 62 प्रतिशत से अधिक उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं।
- भारत सरकार की अधिकांश स्कीमें जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सीजीएस के अंतर्गत दिनांक 31.07.2025 तक सूक्ष्म उद्यमों को 5,43,716 करोड़ रुपए की 84.94 लाख गारंटियां जारी की गई थीं जोकि जारी की गई गारंटियों की संख्या का 70 प्रतिशत तथा गारंटी राशि का 52 प्रतिशत है।

i. सीजीएस के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए निम्नलिखित दो प्रावधानों की शुरुआत की गई है:-
 - दूसरों के लिए 75 प्रतिशत की तुलना में 90 प्रतिशत तक का गारंटी कवरेज और
 - वार्षिक गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट।

ii. इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों तक उनकी समेकित आवश्यकता हेतु असुरक्षित वहनीय ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सीजीएस के अंतर्गत विशेष प्रावधान की शुरुआत की गई है। 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा की गारंटी प्रदान की जाती है जिसके साथ 85 प्रतिशत की सीमा तक का कवरेज प्रदान किया जाता है।

iii. पीएमईजीपी के अंतर्गत महिलाओं को गैर विशिष्ट श्रेणी की तुलना में उच्चतर सब्सिडी (35 प्रतिशत) प्रदान की जाती है।

iv. खरीद और विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत व्यापार मेलों में अन्य उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली 80 प्रतिशत सब्सिडी की तुलना में महिला उद्यमियों को 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

v. महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय कॅयर विकास योजना के अंतर्गत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' का कार्यान्वयन करता है जोकि एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कॅयर क्षेत्र में संलग्न महिला कारीगरों का कौशल विकास करना है।

vi. एमएसएमई मंत्रालय ने 18 व्यवसायों में संलग्न महिलाओं सहित पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की थी। दिनांक 30.07.2025 तक देशभर में कुल 29.98 लाख कारीगरों और शिल्पकारों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है जिसमें 10.8 लाख सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाली महिला लाभार्थी शामिल हैं।

vii. एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को ''यशस्विनी'' नामक एक पहल की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य चरण-II/III शहरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला उद्यमियों के लिए अभियान चलाना तथा महिलाओं का क्षमता निर्माण करके उन्हें सशक्त बनाना है।

बजट 2025 में अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली बार के 5 लाख उद्यमियों के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई है।

(घ) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल का कई पोर्टलों के साथ एपीआई समेकन किया गया है जिसमें सीजीटीएमएसई तथा ट्रेड्स प्लेटफॉर्मों के साथ लिंकेज भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उद्यम पंजीकरण पोर्टल को राष्ट्रीय कॅरियर सेवाएं पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल तथा कौशल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ समेकित किया गया है।

पीएम विश्वकर्मा स्कीम घटक के अंतर्गत डिजिटल लेनदेन के लिए क्रेडिट सहायता और प्रोत्साहन शामिल हैं। ऋण प्रदान करने संबंधी सहायता सहित सभी सेवाएं एकल समेकित पोर्टल के जरिए प्रदान की जाती हैं।
